



राजस्थान रोजगार संदेश

पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 49 अंक 11

Website: <http://employment.rajasthan.gov.in>

15 जुलाई, 2026

मूल्य : 3.00

वार्षिक शुल्क 60 रु

15 जुलाई - विश्व युवा कौशल दिवस

विश्व युवा कौशल दिवस पूरे विश्व के युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विश्व के प्रगतिशील देशों में युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। आज के समय में युवाओं की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसके कारण उन्हें मजदूर बनने की शर्तों की तलाश है। बेरोजगारी की स्थिति में है और उन्हें उनकी क्षमता से कम वेतन वाले रोजगार को अपनाना पड़ता है। 15 जुलाई 2015 में इसी संकट से लोगों को रूबरू करवाने के लिए यूएन में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का निर्णय लिया था।

वर्ष 2015 में "स्किल इण्डिया" (कुशल भारत, कौशल भारत) नामक अभियान लांच किया गया था जिसका लक्ष्य अधिक लोगों को विभिन्न स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र में अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई है और कौशल विकास के कार्य को गति देने

के लिये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में राज्य में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) स्थापित है जो राज्य में कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में सहयोग कर रहा है। रोजगार का तात्पर्य मात्र सरकारी नौकरी से नहीं है। रोजगार का तात्पर्य है आजीविका कमाना जो निजी क्षेत्र की कंपनियों एवं संस्थाओं में कार्य करके एवं उद्यमशीलता विकसित कर के भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति को किसी व्यवसाय में तकनीकी रूप से कुशल (स्किलड) होना चाहिये। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार के स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम इस दिशा में कार्यशील हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को कई क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगारपरक क्षमता बढ़ाना है।

कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग (डीएसईई), राजस्थान सरकार

राज्य सरकार द्वारा मई 2015 में युवाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता को विकसित करने की दृष्टि से एक नये विभाग - कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया गया। विभाग के निर्माण के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण)/आईटीआई, रोजगार तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) में प्रभावी समन्वय बन गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन एवं उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का क्रियान्वयन एक ही छत के नीचे किया जा रहा है ताकि युवाओं के लिए रोजगार प्राप्ति का मार्ग अधिक प्रशस्त किया जा सके।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएँ

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर DDU-GKY कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को कौशल तथा रोजगार प्रदान कर सक्षम बनाने हुए गरीबों को कम करने के लिये प्रारम्भ किया गया है। राजस्थान में यह योजना जुलाई, 2014 में प्रारम्भ की गई। योजना ग्रामीण युवाओं के लिये लक्षित है। प्रशिक्षण NSQF aligned (National Skill Qualification Framework) पाठ्यक्रम में दिया जाता है।

प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं में से न्यूनतम 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार/स्व-रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है।

पात्रता मानदंड:-

आयु समूह:- 15 से 35 वर्ष (विशेष समूह के लिये 10 वर्ष की रियायत)

अन्य मानदंड:- बीपीएल, RSBY, अन्तर्गोदय NRLM, SHG परिवार ऐसे परिवार के युवा जिन्होंने विगत वर्ष में न्यूनतम 15 दिवस कार्य किया हो। ग्राम पंचायत स्तर पर PIP के माध्यम से चयनित ग्रामीण गरीब।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का उद्देश्य राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के नियमित विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल को विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाना है ताकि अपने अध्ययन के उपरान्त वे प्राप्त कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घंटे सॉफ्ट स्किल के लिये निर्धारित है।

इस कार्यक्रम का संचालन आरएसएलडीसी एवं कॉलेज शिक्षा

विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आरएसएलडीसी द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा किया जाता है। MMYKY 1.0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन महाविद्यालय परिसर में किये गये एवं MMYKY 2.0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन



Online के माध्यम से किया गया है।

चूंकि योजना का उद्देश्य अध्ययनरत विद्यार्थियों के कौशल को विकसित करना है अतः इस योजना में प्रशिक्षण उपरान्त नियोजन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

पात्रता मानदंड:-

आयु समूह:- 17 से 30 वर्ष, राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के नियमित विद्यार्थी

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)

RAJKVIK

योजना का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा के विकास के अवसर बढ़ाकर उद्योग आधारित मांग के अनुसार जो क्षेत्र कौशल विकास की दृष्टि से अल्पविकसित हैं उनमें रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उद्योगों को मांग की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य के समग्र विकास में योगदान प्रदान करना है। इसमें प्रशिक्षण NSQF aligned (National Skill Qualification Framework) पाठ्यक्रम में दिया जाता है।

पात्रता मानदंड:-

आयु समूह:- 15 से 35 वर्ष के युवा, विशेष योग्यजनों एवं महिलाओं के लिये:- 15 से 45 वर्ष।

SAKSHM

योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के वंचित वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आजीविका अर्जित करने योग्य बनाना एवं उद्यमिता की ओर अग्रसर करना है, ताकि शून्य-शून्य वे कौशल प्रशिक्षण से प्राप्त आत्मविश्वास से प्रेरित होकर स्वयं का लघु उद्यम स्थापित कर सकें अथवा स्वरोजगार प्रारंभ कर सकें। सक्षम योजना राज्य के समस्त ऐसे युवा/महिलाओं के लिये है जो किसी विद्यालय/कॉलेज के नियमित छात्र/

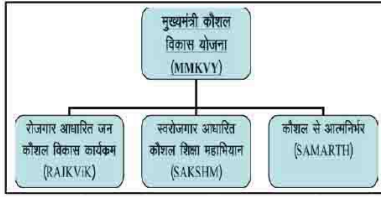
छात्रा ना हो एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का व्यवसाय या सामूहिक रूप से कोई स्वरोजगार गतिविधि करने के इच्छुक हैं।

पात्रता मानदंड:-

आयु समूह:- युवाओं के लिये:- 15 से 45 वर्ष

SAMARTH

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब वर्ग का कौशल विकास करना है। इस योजना के अन्तर्गत सीधे रोजगार मुहैया करवाने के स्थान पर आजीविका अर्जन हेतु कौशल विकास को प्राथमिता दी गई है जिससे कि वे अपना व्यक्तिगत कौशल को विकसित करते हुए तीव्र गति से बदलते बाजार व समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें साथ ही साथ भविष्य में स्वरोजगार की ओर अग्रसर होते हुए एक कुशल व्यवसायी/



उद्यमी बन सकें। समर्थ योजना का उद्देश्य वंचित वर्ग को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ना ही नहीं अपितु मुख्यधारा से जोड़ने के लिये गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देते हुए उद्यमिता कौशल के साथ तैयार करना भी है।

योजना के अन्तर्गत राज्य की महिलाओं, विशेष एवं वंचित वर्गों, पिछड़े एवं हाशिये पर मौजूद परिवारों के लोगों, विशेष योग्यजन, कारागारबन्दी, नारी निकेतन, किशोर गृह/बालिका गृह, अनाथालय, ट्रांसजेंडर, विधवा/परित्यक्ता, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग, अवैध शराब बनाने वाले समुदाय, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी को स्वरोजगार एवं उद्यमिता आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनकी आयसृजन क्षमता व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है।

पात्रता मानदंड:-

आयु समूह:- युवाओं के लिये:-15 से 45 वर्ष कारागार बंदियों, किसानों, भिखारी, सफाईकर्मी, ट्रांसजेंडर, एकल नारी, विधवा के लिये:-15 से 50 वर्ष। विशेष योग्यजनों के लिये:-15 से 45 वर्ष।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना



राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं निदेशालय महिला अधिकारिता के संयुक्त प्रयासों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण को समर्पित मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना। योजना का शुभारम्भ वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया। इस योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को समाज में बराबरी का हक मिले एवं उनकी भागीदारी बढ़े एवं आर्थिक रूप से सशक्त होकर सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें।

पात्रता मानदंड:-

आयु समूह:- 16 से 50 वर्ष की महिलाएं एवं बालिकाएं

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (MMYSY)

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता के लाभार्थियों (प्रोफेशनल कोर्स बीएड, एमबीबीएस, नर्सिंग एवं बीफार्मा डिग्री या डिप्लोमा पास बेरोजगारों के अलावा) को न्यूनतम 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

पात्रता मानदंड:-

आयु समूह:- 30 वर्ष {भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष}

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय (प्रशिक्षण)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान



आईटीआई का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास एवं संचालन के लिए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थापित है। जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। नवगठित कौशल,नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (डीएसईई) के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अधीन राजकीय एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगारपरक बनाया जा रहा है।

उद्देश्य :-

1. प्रदेश के युवाओं कौशल दक्षताओं का विकास कर उन्हें सम्मान जनक आजीविका एवं रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
2. प्रदेश के गरीब ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके आजीविका एवं रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
3. प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जहाँ कुशल मानव संस्थान अप्राप्त है उन क्षेत्रों में कुशल मानव संस्थान के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करवाकर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करने के लिये संस्थानों से एमओयू कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
4. प्रदेश में राजकीय एवं निजी एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
5. प्रदेश के युवाओं को अपना हुनर विकसित करने के लिये विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
6. प्रदेश में युवाओं की आजीविका निर्माण के लिये निति निर्माण का कार्य करवाना।
7. आईटीआई से उर्तीर्ण अधिकाधिक युवाओं को रोजगार दिलवाने के प्रयास कराना।

योजनाएँ :-

युवाओं में कौशल प्रशिक्षण का बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटीआई द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित कि जा रही है। इनमें से मुख्य योजनाएं हैं।

01. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS)



इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) एवं राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (SCVT) के निर्धारित व्यवसायों में नियमित योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों प्रशिक्षण देकर दक्ष कामगार तैयार करना है। इस योजना के अन्तर्गत अभियांत्रिक व्यवसाय तथा गैर अभियांत्रिक व्यवसायों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। CTS योजना के अन्तर्गत संचालित व्यवसायों में ट्रेड थ्योरी, प्रैक्टिकल, इंजिनियरिंग, ड्राईंग सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कराया जाता है। वर्तमान में राज्य में 326 राजकीय एवं 1074 निजी आईटीआई सहित कुल 1400 आईटीआई स्वीकृत है।

02. अनुदेशक प्रशिक्षण केन्द्र (IToTs)(CITS)

33 जिला मुख्यालय की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। यह केन्द्र डीजीटी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है।

03. आई.टी.आई. ब्राण्ड एम्बेसडर

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आईटीआई उत्तीर्ण भूतपूर्व छात्रों में से उल्लेखनीय सफलता अर्जित करने वाले छात्रों को आईटीआई का जिला स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसडर बनाए गये हैं।

Short term courses**01. पीएम-विश्वकर्मा**

पी एम विश्वकर्मा के उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें बेहतर और आधुनिक उपकरणों हेतु सहायता प्रदान करना। कोलेटरल मुक्त ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करना। जिसके अन्तर्गत विभिन्न राजकीय औ.प्र.संस्थानों में इस योजना के तहत 2184 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रदेश में संचालित है। योजनान्तर्गत पुरुष बेरोजगारों को 4000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर श्रेणी के आशार्थियों को 4500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। एक समय में अधिकतम दो लाख युवाओं को भत्ता दिया जाता है।

योजना का उद्देश्य -

- पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु बेरोजगारी भत्ते का वितरण करना तथा कौशल प्रशिक्षण एवं ईन्टरशिप के माध्यम से बेरोजगार युवाओं की रोजगारपरक क्षमता में वृद्धि करना।
- योजना 01 फरवरी 2019 से प्रारम्भ।

भत्ता राशि -

- पुरुष आशार्थी - 4000 रुपये
- महिला, दिव्यांगजन व ट्रांसजेण्डर - 4500 रुपये प्रतिमाह।

अधिकतम लाभार्थिता की सीमा -

- एक समय में अधिकतम 2,00,000 तक

कौशल प्रशिक्षण -

- आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से संचालित किसी भी कोर्स में न्यूनतम तीन माह (90 दिवस) का प्रशिक्षण अनिवार्य। पहले से तकनीकी योग्यता रखने वाले आवेदक कौशल प्रशिक्षण से मुक्त रहेंगे।

ईन्टरशिप -

- ईन्टरशिप के तहत आवेदक के द्वारा किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में

प्रतिदिन 4 घंटे की सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

पात्रता :-

- प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी।
- न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष व अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेण्डर हेतु 35 वर्ष।
- पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख से कम।
- स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य।
- एक परिवार में अधिकतम 2 व्यक्तियों को ही बेरोजगारी भत्ता देय।
- स्नातक उपरान्त किसी संस्थान में नियमित अध्ययनरत न हो।

आवेदन प्रक्रिया :-

- प्रार्थी को स्वयं की एसएसओ.आई.डी. से लॉग इन कर EMPLOYMENT DEPARTMENT के EEMS 2.0 पोर्टल पर पहले JOB SEEKER रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात् UNEMPLOYMENT ALLOWANCE में आवेदन करना होगा।

रोजगार शिविर

- रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु रोजगार सहायता शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें निजी क्षेत्र के नियोजकों को शिविरों में आमंत्रित कर इनके माध्यम से बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाते हैं।
- रोजगार विभाग अपने जिला कार्यालयों के माध्यम से निजी नियोजकों के यहाँ उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करता है एवं युवाओं को एसएमएस, ईमेल, प्रेस-विज्ञापित इत्यादि के माध्यम से सूचित कर रोजगार शिविर में भाग लेने हेतु बुलाता है।
- शिविर आयोजन स्थल पर दोनों पक्षों को मिलने के लिये प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाता है। इससे युवाओं को रोजगार ढूँढने में सहायता मिलती है तथा नियोजकों को भी उनकी मांग के अनुरूप बेहतर कर्मी उपलब्ध हो पाते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 45 रोजगार शिविरों/मेलों/युवा संबल मेले (39 कैम्पस शिविर एवं 6 संबल मेले) का आयोजन कर कुल 8005 बेरोजगार आशार्थियों का (5258 का कैम्पस शिविरों में एवं 2747 का युवा संबल मेलों में) निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों हेतु प्राथमिक चयन किया गया है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक कुल 557 रोजगार शिविर/मेलों/युवा संबल मेले (541 रोजगार/कैम्पस शिविर एवं 16 युवा संबल मेले) आयोजित किये गये हैं जिनमें 143401 बेरोजगार आशार्थियों का (131068 का रोजगार/कैम्पस शिविरों में एवं 12333 का युवा संबल मेलों में) निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों हेतु प्राथमिक चयन किया गया है।
- अब तक 9 मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किये जा चुके हैं।



Geography of Rajasthan

- Population-Distribution, Growth, Density, Literacy, Sex ratio and Urbanization
- Major tribes
- Metallic and Non-metallic minerals
- Energy resources – Renewable and Non-renewable
- Tourism
- Means of transport- National Highway, Rail and Air

राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

- संविधान सभा, संविधान निर्माण में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की भूमिका
- भारतीय संविधान की प्रकृति एवं विशेषताएं, प्रस्तावना (पreamble), मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त, संघीय ढांचा, संघीयता संशोधन, अपातावासीन प्रणालि, जनहित धर्मिका।
- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमण्डल, संसद, उच्चतम न्यायालय
- राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्थाएं एवं आयोग – निर्वाचन आयोग, निबंधक एवं महत्त्वका परीक्षक, वित्त आयोग, लोकपाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग।
- राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोकदुक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, स्वतन्त्र स्वायत्त शासन एवं पंचायती राज।

Indian political system with special reference to Rajasthan :

- Constituent Assembly, Role of Dr. B. R. Ambedkar in framing of the Constitution.
- Nature and Features of Indian Constitution, Preamble, Fundamental Rights, Directive Principles of State Policy, Federal Structure, Constitutional Amendments, Emergency Provisions, Public Interest Litigation.
- President, Prime Minister and Council of Ministers, Parliament, Supreme Court
- Important institutions and commissions at the national level- Election Commission, Comptroller and Auditor General, Finance Commission, Lokpal, National Human Rights Commission, NITI Aayog, National Information Commission.
- Political and Administrative System of Rajasthan, Governor, Chief Minister, State Legislative Assembly, High Court, Rajasthan Public Service Commission, District Administration, State Human Rights Commission, Lokayukta, State Election Commission, State Finance Commission, State Information Commission, Local Self Government and Panchayati Raj.

भारत की अर्थव्यवस्था

- बजट निर्माण, बैंकिंग, लॉक-विता, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संयुद्ध एवं विकास का जटिलता ज्ञान
- राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियाँ
- संविद्धी, लोक वितरण प्रणाली
- ई-गोवर्न
- अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र : कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, भुट्टे एवं महल।
- हरित क्रान्ति, खेत क्रान्ति एवं नीति क्रान्ति।
- पंचवर्षीय योजनाएं एवं विकास प्रणाली।
- प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उद्योगिकरण।

Economy of India

- Budget Making, Banking, Public Finance, Goods and Services Tax, National Income, Basic Knowledge of Growth and Development.
- Fiscal and Monetary Policies.
- Subsidies, Public Distribution System
- E-commerce
- Major Sectors of the Economy: Current Status, Issues and Initiatives in Agriculture, Industry, Service and Trade Sectors.
- Green Revolution, White Revolution and Blue Revolution.
- Five Year Plans and Planning System.
- Major Economic Problems and Government Initiatives, Economic Reforms and Liberalisation.

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

- राजस्थान की वसा एवं व्यावसायिक वसतें
- सिंसाई एवं नदी घाटी परियोजनाएँ, खंवर भूमि व सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास परियोजनाएँ
- उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, तानु, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकला
- पर्यटन एवं श्रमोन्मादी-अवकाशा, प्रसार, कारण, निदान एवं वर्तमान पर्यटनिय योजनाएं, सामाजिक व्याप एवं अधिकारिता – कमजोर वर्गों के लिए प्रकाशन।
- विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ एवं अभियान, विकास संस्थाएँ, सहकारी अन्वेषण, तानु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएँ, पंचायती राज संस्थाओं की प्रगती विकास में भूमिका।
- महाना गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान (MGNREG), विकास महल – रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी विमान (ग्रामिण) (VB-G RAM G)

Economy of Rajasthan

- Food Crops and Commercial Crops of Rajasthan
- Irrigation and River Valley Projects, Wasteland and Drought-Prone Areas Development Projects
- Development of Industries and their Location, Agro-Based Industries, Mineral-Based Industries, Small, Cottage and Village Industries, Export Goods, Rajasthan Handicrafts
- Poverty and Unemployment- Concept, Types, Causes, Solutions and Current Flagship Schemes, Social Justice and Empowerment Provisions for Weaker Sections.
- Various Welfare Schemes and Acts, Development Institutions, Cooperative Movement, Small Enterprises and Financial Institutions, Role of Panchayati Raj Institutions in Rural Development.
- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission – Gramin (VB-G RAM G)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- भौतिक एवं सामाजिक परिकल्पना
- अम, हास एवं लय
- विद्युत धारा, उष्मा, कार्य एवं ऊर्जा
- अंतर एवं पोषण, रक्त समूह एवं रक्त कणक
- स्वास्थ्य देखभाल: संरक्षण, अस्वास्थ्य एवं पर्युजन्य रोग
- पर्यावरणीय एवं पर्यावरणीय परिकल्पना एवं इनके प्रभाव
- जैव-विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संसाधनीय विकास
- जनुओं एवं पदार्थों का आर्थिक महल
- कृषि-विज्ञान, उद्यान-विज्ञान, रानिकी एवं पशुपालन रालस्थान के विशेष संदर्भ में
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
- वसा प्रौद्योगिकी, अर्थिक प्रौद्योगिकी एवं उद्यम
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में

Science and Technology

- Physical and Chemical Changes.
- Acids, Alkalis and Salts.

- Electric Current, Heat, Work and Energy.
- Diet and Nutrition, Blood Groups and Rh Factor.
- Health Care: Infectious, Non-Infectious and Zoonotic Diseases.
- Environmental and Ecological Changes and their Effects.
- Biodiversity, Conservation of Natural Resources and Sustainable Development.
- Economic Importance of Animals and Plants.
- Agriculture, Horticulture, Forestry and Animal Husbandry with special reference to Rajasthan
- Information and Communication Technology
- Defence Technology, Space Technology and Satellites.
- Science and Technology Development with special reference to Rajasthan

तार्किक विवेचन एवं गणित

- रक्त संबंध
- संस्था श्रेणी
- अक्षर श्रेणी
- घड़ी
- कैलेंडर
- मानसिक योग्यता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता
- पूर्ण संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल
- गुणलक्षण - द्विघात समीकरण, लघुगणक
- लघुगुण समान्यताएं एवं महत्त्व समान्यताएँ, औसत, लाभ-हानि, प्रतिशत, साधारण व्याज, घटवृद्धि व्याज, अनुपात-समानुपाता।
- समय, मात्र, दूरी, कार्य एवं समय।
- एक बिन्दु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, सरलरेखीय आकृतियाँ, त्रिभुज की सर्वांगसमता।
- त्रिभुज, चतुर्, दीर्घ वृत्त, अक्ष, गोले और वेलन का क्षेत्रफल।
- त्रिकोणमितीय अनुपात, ऊर्ध्व – दूरी की समान्य समस्याएं
- केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप : माध्य, माध्यिका एवं बहुलक
- गोले, वेलन, घन और शंकु का आयतन।
- अंकगण का विश्व विन्यास (आलेख, तर्कमित्र, वृत्तमित्र, रेखाआलेख, आदि)।

Logical reasoning & Mathematics

- Blood relation.
- Number Series
- Alphabet Series
- Clock
- Calendar
- Mental ability and analytical ability
- Square, square root, cube root of whole numbers.
- Factoring, quadratic equations, logarithms
- LCM & HCF, average, profit-loss, percentage, simple interest, compound interest, ratio-proportion.
- Time, speed, distance, work and time.
- Angles and lines formed at a point, rectilinear figures, congruence of triangles
- Area of triangles, circles, ellipses, rectangles, spheres, and cylinders.
- Trigonometric ratios, standard problems on heights and distances
- Measures of central tendency: mean, median, and mode
- Volume of spheres, cylinders, cubes and cones.
- Graphical representation of data (graphs, bar charts, pie charts, line graphs, etc.)

समासाधिक घटनाएं एवं नागरिक कर्तव्य

- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक, पारिस्थितिकी, खेत-बूट, आदि क्षेत्रों की राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समासाधिक घटनाएं।
- प्रविद्ध व्यक्तित्व।
- राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ।
- नागरिक कर्तव्य – मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य
- राजस्थान सांविजनिक परीक्षा (सी) में अनुचित सामग्री की रोकथाम के अनुपात) अभियान, 2022 के मुख्य प्रकाशन।

Current Events and Civic Duty

- Major contemporary events at the State, National and International level in the fields of politics, economy, society, culture, technology, geography, ecology, sports, etc.
- Famous personalities.
- State and national-level programs and policies
- Civic Duties: Fundamental Duties and Moral Values.
- Salient Provisions of The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment) Act, 2022

Public Health

- Basics of First aid, Cardiopulmonary resuscitation (CPR).
- Types of Drug abuse and Measures to prevent it.
- Physical and Mental fitness of youth.
- Health risks of Social Media addiction and its Preventive Measures.

जन स्वास्थ्य

- प्रथमिक चिकित्सा (First Aid) की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन (CPR)
- नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रसार और उनसे बचाव के उपाय
- दुर्घटनों की शारीरिक और मानसिक चिन्तन
- सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय

Computer Knowledge

- Characteristics and Applications of Computers.
- Operating System, Internet and E-Mail.
- Computer Organization including Memory (RAM, ROM), File System, Input and Output Devices.
- MS Office (Knowledge of MS Word, MS Excel/Spreadsheet, MS PowerPoint).
- Cyber Security
- E-Services
- Artificial Intelligence (AI)

कंप्यूटर की जानकारी

- कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग।
- ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट और ई-मेल।
- मेमोरी (रंग, रंग) फाइल सिस्टम, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगणन।

- एमएस ऑफिस (एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल/स्प्रेडशीट, एमएस पावरपॉइंट की जानकारी)
- साइबर सिक्योरिटी
- ई-सर्विसेज
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

Language Knowledge

General English

- Use of Articles and Determiners
- Tense/sequence of Tenses
- Voice : Active and Passive
- Narration : Direct and Indirect
- Use of Prepositions
- Translation of Ordinary/Common English sentences into Hindi and vice-versa
- Synonyms and Antonyms
- Comprehension of a given passage
- Glossary of official, Technical terms (with their Hindi version)
- Letter writing : Official, Demi-official, Informal.
- Note : Questions on letter writing will also be objective regarding the structure of a letter.
- Idioms and Phrases
- One Word Substitution

सामान्य हिन्दी

- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय
- संधि और संधि विच्छेद
- समास, भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह
- उपसर्ग एवं प्रत्यय
- विलोम शब्द, पर्यायवाची एवं अनेकार्थक शब्द
- विराम चिह्न
- पारिभाषिक शब्दावली (अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द)
- शब्द शुद्धि (अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण)
- वाक्य शुद्धि (अशुद्ध वाक्यांश का शुद्धिकरण)
- वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
- राजभाषा हिन्दी - संवैधानिक स्थिति
- कार्यालयी पत्रों से सम्बन्धित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्द्धशासकीय पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति।

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिये जाने के संबंध में अर्थार्थी से पुष्टि करवाये जाने हेतु ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में पॉचवा विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किये गये हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न के 05 विकल्प A, B, C, D, E. अंकित रहेंगे। उनमें से अर्थार्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तरपुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा।

Each question has five options marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

2. प्रत्येक प्रश्न के लिये विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा।

It is mandatory to fill only one of the options for each question.

3. यदि अर्थार्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया है तो उसके लिये पॉचवा विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि पॉचों विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10 प्रतिशत प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाय जायेंगे।

If you are not attempting a question then you have to darken the circle 'E'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.

4. प्रश्न पत्र हल करने के बाद अर्थार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा कर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अर्थार्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for darkening the circle of option "E" for all unanswered questions.

5. जिस अर्थार्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को किन्हीं पॉच गोलों में से गहरा नहीं करने पर उसे अयोग्य किया जायेगा।

A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% question shall be disqualified.

18. **बोर्ड की वेबसाइट**:- अर्थार्थी बोर्ड की वेबसाइट <http://rssb.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(प्रीति माथुर)

सचिव

डी.आई.पी.आर/सी/11759/2026 रा.सं.सं 24/2026

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट उप निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

-संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

-संपादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
अच्युत, कौशल, निधीजन एवं उद्यमिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
उप निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता :- उप निदेशक (प्रकाशन), दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001

e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in